कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 61 अ–82/2017–18 हुमनबेहरा 9124 बैतूल दिनांक 4– 08–2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा का क्षेत्रफल (है0) में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हुमनबेहरा	17.860	सोनोरी लघु जलाशय

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा है0 में	अर्जन की भूमि का रकबा है0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	39	8.162	0.061	बिस्सू वल्द दौलत, झुनिया, रमिया, पुत्री दौलत जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
2	41	1.708	0.081	केशोराव वल्द जगन्नाथ जाति कुंबी निवासी टेमझिरा भूमि स्वामी
3	42	2.429	0.303	नत्थ्या वल्द भाल्या, निर्मला बेवा बलवत संदीप वल्द बलवंत कुंबी निवासी सोनोरी

4	43/1	0.536	0.536	चिन्ध्या वल्द बाजीलाल पंवार सा.देह भूमि
	44/1	0.030	0.030	
	44/3	1.000	1.000	
	45/2	0.500	0.500	
	45/3	0.034	0.034	
	46/1	1.500	1.050	
	46/3	0.106	0.106	
5	43/2	0.535	0.535	गुलाबराव वल्द बाजीलाल जाति पंवार पता सोनोरी भूमि स्वामी
	44/2	0.500	0.500	
	44/4	0.529	0.529	
	45/1	0.500	0.500	
	45/4	0.033	0.033	
	46/2	1.500	1.500	
	46/4	0.107	0.107	
6	157/7	0.061	0.061	अच्छाराम वल्द देउ पता सा.देह.
	160/2	0.262	0.101	
	163	0.061	0.061	
7	166/19	0.405	0.021	शिव वल्द कुदशां सा.देह भूमि स्वामी
	166/21	0.240	0.240	
8	166/20	0.320	0.162	बकाराम वल्द बिहारी जाति गोंड सा0 देह भूमिस्वाति

9	169/1	0.915	0.752	मुन्ना, जियालाल, बाबुलाल, सद्दू वल्द जुगन, मुन्नी, अन्नू पिता जुगन, रमलो बेवा जुगरू, मंगला, जंगला पिता जुगरू, राधो, जुगन, झुम्मक वल्द जुगरू, जुग्गा बेवा दुब्बन कोंदू वल्द दुब्बन, रम्मो, कम्मो, पारधे फुली पिता दब्बन ना.बा.वली मां जुग्गो, कारू, सुंदर वल्द सुब्बन समला, समली पिता सुब्बन, कमलेश वल्द गाकड़ कमलती पिता गाकडू गोंड सा.देह भूमि स्वामी सुकलू सुकाली वल्द गना सा.देह भूमि स्वामी
10	169/2	0.914	0.914	कयलो, फुल्लों पिता जोगी, भैयालाल, सम्भूलाल, कुंजीलाल वल्द जोगी सा.देह भूमि स्वामी
11	171/3	1.685	1.685	शंकरराव, लुगाराव, हरिभाउ, सुधाकर वल्द बालाराम कला, पिता बालाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
	171/4	1.759	1.759	
	178/2	3.701	0.500	
12	171/1	1.759	1.759	सम्पत्ति वल्द भैया जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी
	178/1	3.700	0.500	
13	171/2	1.677	1.677	उर्मिला जौ. बाबूराव जाति कुंबी निवासी आमला भूमि स्वामी
14	173	0.097	0.097	गनपत वल्द लखमू, मीरा, पारबती पिता लखमू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
15	175/2	0.166	0.166	सून्दरलाल वल्द सुब्बन सा.देह भूमि स्वामी
	173	0.097	0.097	
	175/2	0.166	0.166	
कुलयोग :–		37.431	**17.860**	

(2)— चूंकि सोनोरी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

(3)— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)— समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल दिनांक 4 – 08–2018

पृ0क0 61 अ–82/2017–18 हुमनबेहरा 9124

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।.

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9– सरपंच/सचिव ग्राम हुमनबेहरा ग्राम पंचायत जूनापानी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग